कोर्टोप्रति हस्ताक्षरित

14 OCT

कार्यालय थानाधिकारी पुलिस थाना साईबर जिला भरतपुर राजस्थान

क्रमांक 1792 दिनांक –

श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट,
संख्या सं.02 भरतपुर

विषय– तथ्यात्मक रिपोर्ट मु०न० 286/2025 धारा–318 (4) 112(2),61(2) बीएनएस 3.5.21.23 अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019 व 3.4 इनामी चिट फंड और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम 1978 दिनांक 01.12.25 थाना अटलबन्द भरतपुर के सम्बंध में।

प्रसंग– श्रीमान के आदेश पत्र 82 दिनांक 18.09.2026 की पालना में।

प्रगति रिपोर्ट

1. **अभियाग संख्या मय दिनांक व नाम थाना**–286/2025 दिनांक 01.12.25 थाना अटलबंद भरतपुर
2. **कायमी धारा** – 318(4), 112 (2) 61 (2) बीएनएस 3.5.21.23 अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019 व 3.4 इनामी चिट फंड और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम 1978
3. **मुस्तगीस का नाम पता** – श्री हरिओम सिंह पुत्र श्री मेवाराम जाति जाट उम्र 33 साल निवासी ग्राम तिलचिवी थाना हलेना हाल गली नम्बर 7 तिलक नगर थाना अटलबंद भरतपुर (राज)
4. **प्रथम सूचना रिपोर्ट का सारांष**– वाक्यात मुकदमा हाजा इस प्रकार से है कि दिनांक 01.12.25 को श्री हरिओम सिंह पुत्र श्री मेवाराम जाति जाट उम्र 33 साल निवासी ग्राम तिलचिदी थाना हलेना हाल गली नम्बर 7 तिलक नगर थाना अटलबंद भरतपुर (राज) ने उपस्थित थाना होकर एक रिपोर्ट तहरीरी इस आशय के पेश की कि सेवा में श्रीमान थानाधिकारी महोदय पुलिस थाना अटलबद भरतपुर विषय •चव.तन कम्पनी द्वारा धोखधडी से निवेष के नाम पर राषि हडपने (फोड) के सम्बध में महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है क सोषल मीडिया पर •चव.तन नामक एक बेबवसाईट है। जिसमें उच्च लाभ एव बोनस का आश्वासन देकर राषि निवेष करने को प्रोत्साहित कया जाता है। उक्त वेबवाईट •चव.तन के कर्ता धता एवं संचालक रजत शर्मा, ईष्वर वर्मा, विजय मौर्य, संदीप सिखर, मंगलेष कुमार शर्मा, सुरेन्द्र सेनी, सुरेन्द्र बाछार षाहरूख खान आदि है। जिन्होने गरीब एवं मध्यम वर्ग के व्यक्तियों से राषि हडपने की मंषा से जिला भरतपुर राजस्थान में एजेन्ट नियुक्त कर रखे है। जिसमें मुख्य अतुल शर्मा है। इनके द्वारा धोखाधडी से अधिक प्रलोभन देने एवं अधिक से अधिक व्यक्तियों को जोडकर चौन बनाकर अधिक राषि एकत्रित करने के लिए एव कम्पनी का रजिस्टर्ड होने का झासा देकर बेइमानी एव धोखाधडी से निवेष के नाम पर मुझसे 1905000/ (उन्नीस लाख पांच हजार) रूप्ये इन्होने प्राप्त किये है। उक्त राषि बैंक से लोने एव उधार लेकर मेरे द्वारा दिये गये। यह घटना दिनांक 20.11.25 की है। अतः श्रीमान जी से निवेदन हे कि उक्त लोगो के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उचित कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे। आपकी अति कृपा होगी। मजमून रिपोर्ट व मजीद दर्याप्त से मामला अपराध धारा 3.5,21.23 अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधि० 2019 व 3.4 ईनामी चिटफंड और धन परिचलन स्कीम पाबन्दी अधि० 1978 व धारा 318(4),112(2),61(2) बीएनएस के बकू में आना पाया जाने पर धारा उपरोक्त मे प्रकरण दर्ज कर मन एसएचओ हेमेन्द्र चौवरी मशरूफ तफतीश होता हूँ।

5 अनुसंधान का पूर्ण ब्यौरा– दौराने अनुसंधान हेमेन्द्र चौधरी थानाधिकारी थाना अटलबन्ध द्वारा प्रकरण की मुस्तगीसा श्री हरिओम सिंह पुत्र श्री मेवाराम आयु 33 साल जाति जाट निवासी तिलचिवी थाना हलैना भरतपुर हाल मकान सं० 259 तिलकनगर थाना अटलबद भरतपुर (राज.) के विस्तृत बयान हस्व दफा 180 बीएनएसएरा मे लेखबद्ध किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। प्रकरण हाजा के संबंध में थाना मथुरागेट पर मुकदमा नम्बर 703/2025 की एफआईआर प्रति प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। उक्त एफआईआर का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि प्रकरण में नामजद आरोपीगण रजत शर्मा, ईश्वर वर्मा, मंगलेश कुमार शर्मा, सुरेन्द्र सैनी, शाहरूख खान, सुरेन्द्र बारबर, अतुल शर्मा, नरेन्द्र डागुर व सोनू के द्वारा लोगों धोखे में रखकर बोनस का लालच देकर आपस मे संगठित गिरोह बनाकर रूपये पेसों को इन्वेस्ट करवा रहे हैं और धन संग्रह कर रहे है। व नोट अंकित किया है कि एप्लीकेशन XPO-ru एप्लीकेशन / मोवाईल एप ना तो भारत में SEBI/RBI/MCA या किसी भी सक्षम प्राधिकरण के अन्तर्गत पंजीकृत है और नाही किसी विनियमित जमा योजना (Regulated Deposit Scheme) के अन्तर्गत जनता से धन संग्रह कर रही है और धोखाधड़ी कर राशि हडप रही है। प्रकरण हाजा में अनुसंधान जारी है। तत्पश्चात प्रकरण की पत्रावली अग्रिम अनुसंधान हेतु उच्चाधिकारियो के आदेश पर आदेश सं–9(9) अप/अन्धे/भरत/2025/720–34 दिनांक 11.06.2026 के द्वारा प्रकरण हाजा की पत्रावली अनुसन्धान अधिकारी सुश्री प्रियंका अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अलवर को भेजी गई। श्रीमान महानिदेशक पुलिस साईबर काईम एव तकनिकी सेवायें राजस्थान जयपुर के कार्यालय आदेश पत्र कमांक 21783 दिनांक 31.07.2026 एव श्रीमान अतिरिक्त महानिदेश पुलिस साईबर काईम एवं तकनिकी सेवाये राजस्थान जयपुर का मू०नोट० कमांक 21644 दिनांक 29.07.2026 के सन्दर्भित प्रकरण संख्या 703/2025 पुलिस थाना मथुरा गेट जिला भरतपुर में दर्ज किया गया है जिसका अनुसन्धान अधिकारी सुश्री प्रियका अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अलवर को भेजी गई माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की उक्त प्रकरण पर टिप्पणी [illegible] प्रकरणों में जहाँ 3100 करोड रुपये निवेश हुये ओर 2100 करोड रुपये धोखाधडी कर प्रापत कि[illegible]

सही प्रतिलिपि

में शीघ्र एवं निष्पक्ष अनुसन्धान हेतु पुलिस महानिदेश राजस्थान एवं गृह सचिव राजस्थान सरकार का ध्यानाकर्षण किया है) के फलस्वरूप उक्त प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुये व त्वरित एवं निष्पक्ष अनुसन्धान हेतु श्रीमान महानिदेश पुलिस राजस्थान जयपुर द्वारा प्रकरण का अनुसन्धान पुलिस अधीक्षक साईबर काईम श्री सुमित मेहरडा के निकट सुपरविजन में साईबर काईम की एसआईटी द्वारा इस गिरोह के जिला भरतपुर में दर्ज प्रकरणों का अग्रिम अनुसन्धान हेतु मन आई/ओ उपअधीक्षक पुलिस साईबर को दिनांक 16.09.2026 को प्राप्त हुई है प्रकरण हाजा की पत्रावली का अवलोकन किया गया अनुसंधान जारी है।

थानाधिकारी
पुलिस थाना साईबर
जिला भरतपुर

2
1

Blank A4

13780

1. प्रार्थना पत्र क्रमांक 12-1-26
2. प्रार्थना पत्र दिनांक ... 2
3. पृष्ठों की संख्या 3-00
4. [illegible] शुल्क 280
   अदा [illegible] GK
5. [illegible] तिथि 13-1-26
6. [illegible] तिथि 14-1-26
7. प्रति [illegible] होने की तिथि 14-1-26
8. प्रार्थी [illegible] 14-1-26
9. [illegible] जारी होने की तिथि 14-1-26

9955

Copying

प्राप्त किया गया

प्राप्त किया गया